जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 16.06.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में भारतीय न्याय संहिता-2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने के दृष्टिगत जनपद में नियुक्त बीट मुख्य आरक्षी/आरक्षी/नागरिक पुलिस को जनपद के पुलिस लाइन सभागार में दिया गया 01 दिवसीय प्रशिक्षण

आज दिनांक 16.06.2024 को संयुक्त अभियोजन के पत्रांक संख्याः- अभि0/स0क0न0/प्रशिक्षण/2024/35 के आदेश के क्रम में, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने के दृष्टिगत जनपद में नियुक्त बीट मुख्य आरक्षी/आरक्षी/नागरिक पुलिस को जनपद के पुलिस लाइन सभागार में 01 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 15.06.2024 से जनपद में उपलब्ध पुलिस बल की संख्या के अनुरूप अलग-अलग बैच बनाकर चरणवार तिथि तय कर दिनांक 30.06.2024 (समय 09.30 बजे से 18.00 बजे तक) तक उपलब्ध ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,अभोजन अधिकारी,एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी क्रम में आज दिनांक 15.06.2024 को एसपीओ ***श्री अजीत कुमार सिंह*,**पीओ ***श्री विनय कुमार पाण्डेय*** व पीओ ***श्री संदीप चौबे*** द्वारा जनपद के समस्त थानों एवं अन्य शाखओं सहित कुल 90 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर द्वारा संयुक्तरुप से आगामी पर्व बकरीद के दृष्टिगत जनपद के थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत मुसहरा में आयोजित की गई पीस कमेटी की मीटिंग

जिलाधिकारी सन्तकबीरनगर ***श्री महेन्द्र सिंह तंवर*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा संयुक्त रुप से आगामी पर्व बकरीद के दृष्टिगत आज दिनांक 16.06.2024 को जनपद के थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत मुसहरा गाँव में पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें गाँव के संभ्रांत व्यक्ति / ग्राम प्रधान व अन्य काफी संख्या में लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग में भाग लिया। लोगों से शांति व भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई तथा त्यौहार के दौरान गड़बड़ी पैदा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु सख्त हिदायत दिया गया तथा उपस्थित लोगों को भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने तथा त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु अपील किया गया।गोष्ठी के दौरान उपस्थित ग्रामीणों द्वारा आश्वस्त किया गया की इस वर्ष ही होली व बकरीद के दौरान शांन्ति भंग की आशंका को आपस में ही बैठकर सुलझा लिया जायेगा। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर***, थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा *श्री इन्द्र भूषण सिंह* व पुलिस अधीक्षक पीआरओ *श्री जितेन्द्र यादव* आदि अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

दबिश के दौरान 12 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 05 नफर वारण्टी नाम पता 1- रामसागर पुत्र मुन्नीलाल निवासी कुड़वा 2- मो0 हसन रजा पुत्र बरकत अली निवासी बाघनगर 3- सुरेन्द्र यादव पुत्र रामनयन निवासी पचावा 4-

अब्दुल लतीफ पुत्र सिराजुल्लाह निवासी सिसवा तालिब 5- रंगीलाल पुत्र शिवकुमार निवासी सेमरियावा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री संजय यादव, उ0नि0 श्री अभय पाण्डेय, का0 सूर्यनारायण गुप्ता।

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता भूपेन्द्र पाल पुत्र जनार्दन पाल निवासी मैन्सिर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राकेश कुमार गुप्ता,का0 विजय गौतम।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 1- बलराम पुत्र भागीरथी निवासी धौरापार 2- विजय पुत्र खुशीलाल निवासी धौरापार 3- मंगरु पुत्र त्रिलोकी निवासी बढ़याठाठर थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दशरथ, उ0नि0 श्री दद्दन राय, हे0का0 बदरे आलम, हे0का0 योगेन्द्र यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 1- रामध्यान पुत्र रामफेरन निवासी बड़गो 2- मोतीलाल पुत्र बिहारे निवासी बड़गो 3- जीतन पुत्र छविलाल निवासी जिगिना टोला बैरहा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रविन्द्र यादव, उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, का0 संतोष यादव, का0 जितेन्द्र कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5264 द्वारा दो पक्षों में मारपीट में घायल व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत उस्का खुर्द से इवेन्ट संख्या 39789 से कालर द्वारा किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट/विवाद में 03 व्यक्तियों (1-**धर्मशिला पत्नी अजीत सिंह 2-अजीत सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह 3-राज सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी उस्का खुर्द थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 प्रदीप यादव,हो0 चा0 इन्द्रनाथ पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 177 वाहनों से 244500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 177 वाहनों से 244500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मारपीट करने के मामले में वाँछित 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 217/2024 धारा 323/452/427/504/506/316/34 भा0द0वि0 व 3(1)द/3(1)ध/3(2)(V)(A)/3(2)(5) एससी/एसटी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में 02 नफर वाँछित अभियुक्तों नाम पता 1-चौथीराम कहार पुत्र रामप्यारे 2- गुड्डू उर्फ रमेश कहार पुत्र चौथीराम निवासीगण रसूलपुर मिश्रौलिया (मूडाडीहाबेग) थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को मुडाडीहा गाँव के बाहर दरियाबाद जाने वाले रोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- विदित हो कि दिनांक 16.05.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा रजमती पत्नी राजकुमार निवासी रसूलपुर मिश्रौलिया(मूडाडीहा बेग) के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना कारित की गयी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना में नामजद अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा सतत प्रयास जारी थी। इसी क्रम में आज दिनांक 16.05.2024 को उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद, हे0का0 रामविनय यादव, का0 नीरज सिंह।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ-साथ कार्यक्रम" के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 05 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में चलाये जा रहे *'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल)* के तहत आज दिनांक **16.06.2024 को** परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर **थानाध्यक्ष पूनम मौर्या एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाहअंसारी** के अध्यक्षता में **05** मामले आये। जिसमें सुलह समझौता करवाया गया।

1.**प्रथम पक्ष –** संजू देवी पुत्री राजू निवासी ग्राम – कंवर कचरी पो0- बौरब्यास थाना धर्मसिंहवा जनपद – संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** बिन्दू पुत्र शिवदास निवासी कुल्हडिया पो0- लोहरसन थाना – बेलहरकला जनपद- संतकबीरनगर को काफी समझाने

बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

2. **प्रथम पक्ष –** सुचिन्दर कुमार गौतम पुत्र स्व0 राम भुआल निवासी ग्राम – दशहरा (रसहरा) थाना – दुधारा जनपद – संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** शबनम पुत्री स्व0 बटोही निवासी ग्राम – दशहरा (रसहरा) थाना – दुधारा जनपद – संतकबीरनगर को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

3. **प्रथम पक्ष –** निशा पुत्री राजाराम निवासी ग्राम – मुकुन्दपुर पो0- महुली थाना – महुली जनपद – संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** शिवनन्दन सादर उर्फ पिन्टू पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी नहसापार थाना – कोतवाली खलीलाबाद जनपद - संतकबीरनगर को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

4. **प्रथम पक्ष –** नीलम पत्नी नन्दलाल निवासी ग्राम – कोल्हुआ थाना – महुली, जनपद – संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** नन्दलाल पुत्र श्री राम निवासी ग्राम – कोल्हुआ थाना – महुली, जनपद – संतकबीरनगर को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

5. **प्रथम पक्ष –** खुशबु पत्नी अरविन्द निवासी ग्राम- तेनुवामाफी थाना- कोतवाली खलीलाबाद जनपद – संतकबीरनगर व **द्वितीय पक्ष –** अरविन्द पुत्र स्व0 कृष्णा गोपी निवासी ग्राम - तेनुवामाफी थाना- कोतवाली खलीलाबाद जनपद – संतकबीरनगर को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी-खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।